

विषय :- श्री/कुमारी/श्रीमती का
 जन्म/मृत्यु पंजीयन अन्तर्गत धारा 13:3 राजस्थान जन्म/मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के तहत
 आम पंचायत में अंकित
 करवाने के लिये में

जान्म/आवेदन पत्र

महोदय,

उक्त संदर्भ में प्रार्थी निम्न आवेदन करत है कि :-

1. यह कि श्री/कुमारी/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पली का जन्म/मृत्यु दिनांक को स्थान पर हुआ।
2. यह कि उपरोक्त श्री/कुमारी/श्रीमती का जन्म/मृत्यु पंजीयन करवाना चाहता हूँ।
3. यह कि उपरोक्त श्री/कुमारी/श्रीमती का प्रार्थी का रिश्ते में है।
4. यह कि पूर्व में श्री/कुमारी/श्रीमती का जन्म मृत्यु पंजीयन अन्तर्गत किसी भी शहर या जिले में नहीं करवा सका था।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि श्री/कुमारी/श्रीमती का जन्म/मृत्यु पंजीयन अन्तर्गत धारा 13:3 राजस्थान का जन्म/मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत आयुक्त नगर परिषद/केन्टोमेन आम पंचायत के नाम आदेश प्रसारित करें कि जिसका पंजीयन किया जावे।

हस्ताक्षर आवेदक

नाम

पिता का नाम

पूरा पता

स्थान नृपनगढ़
दिनांक

जन्म / मृत्यु पंजीयन हेतु अभिशांसा प्रमाण पत्र

प्राप्तिक्रिया जाता है कि श्री पुत्र

श्री जाति पता

के निवासी है / थे।

उक्त प्रार्थी के द्वारा उपलब्ध साक्ष्य एवं जांच के आधार पर इनकी
जन्म / मृत्यु दिनांक है। इनका जन्म / मृत्यु स्थान
है। इनके जन्म / मृत्यु हेतु पंजीयन आदेश जारी करने की हम अनुशांसा करते
हैं।

हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी मय नाम
एवं मोहर

हस्ताक्षर सरंपत्र ग्राम पंचायत
पद एवं मोहर

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट, रुपनगढ़, जिला—अजमेर

आदेश

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत को आदेशित किया जाता है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / दिनांक द्वारा जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की आङ्गा मे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(3) के अंतर्गत घटना की सत्यापन एवं शुद्धता की जांच उपरांत सही पाये जाने के बाद ही जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जावे अन्यथा ये आदेश निरस्त माना जावेगा अगर सही नहीं पाया जाता है और प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो आप स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट, रुपनगढ़, जिला—अजमेर

आदेश

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत को आदेशित किया जाता है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/..... दिनांकद्वारा जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की आँख में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(3) के अंतर्गत घटना की सत्यापन एवं शुद्धता की जांच उपरात सही पाये जाने के बाद ही जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जावे अन्यथा ये आदेश निरस्त माना जावेगा अगर सही नहीं पाया जाता है और प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो आप स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

जन्म

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) व तत्वधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

का प्रारूप

(एक वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर)

शपथ पत्र(जन्म)

शपथ ग्रहिता की
हस्ताक्षर युक्त
नोटेरी
प्रमाणित पासपोर्ट
साइंज फोटो

मैं (आवेदक का नाम) पुत्र/ पुत्री/ पति श्री

वर्तमान आयु लिंगार्थ (वर्तमान पूर्ण पता) शपथ पूर्वक वयान करता/करती हूँ कि :-

(लड़का/लड़की से रांबंध लिये) 1. यह कि (माता का नाम) श्रीमति ने एक जीवित लड़का/ लड़की जिसका नाम श्री लिंग जन्म दिनांक जन्म स्थान का पूर्ण पता पिता का नाम बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता को शहर/गांव में जन्म दिया है।

2. यह कि लड़का / लड़की के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता-पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा / रही हूँ।
3. यह है कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चल्पा कर दी गई है।
4. इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।
5. यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है वा ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊंगा/ करवाऊंगी।

अंगूठा लिंगान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

नोटेरी सत्यापन मय मुहर

मैं उपरोक्त (नाम आवेदक) शपथग्रहिता/ग्रहिता/सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य है। मेरे द्वारा दिये गये शपथ-पत्र में किसी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा लिंगान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रुपनगढ़ जिला अजमेर

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्कानामा मय आवेदन पत्र तहसील कार्यालय रुपनगढ़ में पश्च किया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धाता

का बाद अपने स्तर पर सत्यापन कर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ग्राम पंचायत का आदेशित किया जाता है कि जन्म या मृत्यु उक्त के विहित विलम्ब शुल्क नियमानुत्रसार लेकर रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावे।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मोहर

जन्म

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) व तत्वधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मंजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

का प्रालय

(एक वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर)

शपथ पत्र(जन्म)

शपथ ग्रहिता की
हस्ताक्षर युक्त
नोटेरी
प्रमाणित पासपोर्ट
साइज़ फोटो

मैं (आवेदक का नाम)

पुत्र/ पुत्री/ पति श्री

वर्तमान आयु विवासो (वर्तमान पूर्ण पता)
(लड़का/लड़की से संबंध लिखो)

शपथ पूर्वक व्याक करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि (माता का नाम) श्रीमति ने एक जीवित लड़का/ लड़की जिसका नाम श्री लिंग जन्म दिनांक जन्म स्थान का पूर्ण पता जन्म स्थान का पिता का नाम बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता को शहर/
गांव में जन्म दिया है।
2. यह कि लड़का / लड़की के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता-पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा / रही हूँ।
3. यह है कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चल्पा कर दी गई है
4. इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।
5. यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है वा ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊंगा/ करवाऊंगी।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

नोटेरी सत्यापन मय मुहर

मैं उपरोक्त (नाम आवेदक) शपथग्रहिता/ग्रहिता/सत्यापित करता/
करती हूँ कि शपथ पत्र में अकेत सभी तथ्य सही व सत्य है। मेरे द्वारा दिये गये शपथ-पत्र में किसी प्रकार की असत्यता नहीं है।
अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मंजिस्ट्रेट रूपनगढ़ जिला अजमेर

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्कानामा मय आवेदन पत्र तहसील कार्यालय रूपनगढ़ में पशे किया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(3) के अवधारणा की शुद्धाता जाता है कि जन्म या मृत्यु उक्त के विहित विलम्ब शुल्क नियमानुत्रसार लेकर रजिस्ट्रर/उपरजिस्ट्रर द्वारा दर्ज कर लिया जावे।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मंजिस्ट्रेट मय मोहर

शपथ - पत्र गवाह

मैं कि पुत्र/पत्नी श्री
 आयु वर्ष जाति निवासी
 शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

- (1) यह कि पुत्र/पुत्री श्री
 जाति निवासी
 का जन्म/मृत्यु दिनांक को हुई/हुआ है।
- (2) यह कि उक्त के जन्म/मृत्यु में मैं सम्प्लित हुआ था।
- (3) यह कि उक्त की जन्म/मृत्यु स्थान पर हुआ/हुई है। जिसका
 नाम है।
- (4) यह कि मैं यह शपथ-पत्र उक्त की जन्म/मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो कि सही है।
 स्थान : रुपनगढ़
 दिनांक :

सत्यापन

ह. शपथकर्ता

मैं उपरोक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र में वर्णित पेरा संख्या 1 लगायत
 4 में वर्णित कथन मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है। इसमें कोई तथ्या मिथ्या नहीं है।

स्थान : रुपनगढ़

दिनांक :

ह. शपथकर्ता

शपथ - पत्र गवाह

मैं कि पुत्र/पत्नी श्री
 आयु वर्ष जाति निवासी
 शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

- (1) यह कि पुत्र/पुत्री श्री
 जाति निवासी
 का जन्म/मृत्यु दिनांक को हुई/हुआ है।
- (2) यह कि उक्त के जन्म/मृत्यु में मैं सम्प्लित हुआ था।
- (3) यह कि उक्त की जन्म/मृत्यु स्थान पर हुआ/हुई है। जिसका
 नाम है।
- (4) यह कि मैं यह शपथ-पत्र उक्त की जन्म/मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो कि सही है।
 स्थान : रुपनगढ़
 दिनांक :

सत्यापन

ह. शपथकर्ता

मैं उपरोक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र में वर्णित पेरा संख्या 1 लगायत
 4 में वर्णित कथन मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है। इसमें कोई तथ्या मिथ्या नहीं है।

स्थान : रुपनगढ़

दिनांक :

ह. शपथकर्ता